[illegible]-2021 वकील उभयपक्ष उप० । वकील प्रतिवादी साक्ष्य नहीं कराना चाहते हैं । अतः प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की जाती है । वास्ते बहस पत्रावली दि० [illegible]-2021 को पेश हो ।

[illegible]-2021 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/~~उभयपक्ष उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~समय पर है/~~अवकाश पर हैं/~~अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27-1-2021 को पेश हो।

रीडर

27-1-2021
वकील उभयपक्ष उप० । वकील प्रतिवादी साक्ष्य नहीं कराना चाहते हैं । अतः प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की जाती है । वास्ते बहस पत्रावली दि० 3-2-2021 को पेश हो ।

3-2-2021 वकील उभयपक्ष उप० । बहस सुनी गई । वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 10-2-2021 को पेश हो ।

10-2-2021 वकील उभयपक्ष उप० । वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 17-2-2021 को पेश हो ।

17-2-2021 वकील उभयपक्ष उप० । दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है । विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर [illegible] के शामिल किया गया । पत्रावली [illegible] रजिस्टर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

उप जिला कलेक्टर
[illegible] सिटी (द०जि०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 13:53:08 IST
Reason: SelfAttested

1 शान्ति पत्नि रामहरि, गुर्जर निवासी कडी गॉवडी तहसील गंगापुर सिटी
2 पाना पत्नि प्रहलाद, गुर्जर निवासी कडी गॉवडी तह. गंगापुर सिटी

——वादीगण

बनाम

1 खिलाडी पुत्र ग्यारसा, गुर्जर निवासी कडी गॉवडी तह0 गंगापुर सिटी
2 कमल पुत्र ग्यारसा, गुर्जर निवासी कडी गॉवडी तह0 गंगापुर सिटी
3 पप्पू पुत्र ग्यारसा, गुर्जर निवासी कडी गॉवडी तह0 गंगापुर सिटी
4 धनराज पुत्र खिलाडी, गुर्जर निवासी कडी गॉवडी तह0 गंगापुर सिटी
5 बुद्वराम पुत्र कमल, गुर्जर निवासी कडी गॉवडी तह0 गंगापुर सिटी
6 भूरया पुत्र कमल, गुर्जर निवासी कडी गॉवडी तह0 गंगापुर सिटी

——प्रतिवादीगण

दावा बावत् स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट वादीगण की ओर से
मोहम्मद इस्लाम एडवोकेट प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी ख0नं0 639 रकवा 1.15 है0 स्थित ग्राम कडी गॉवडी तह0 गंगापुर सिटी की खातेदारी तुलसा बेवा हरिया, जयसिंह पुत्र हरिया के नाम थी। उक्त आराजी जरिए रजिस्ट्री वादीगण द्वारा क्रय की गई। क्रय कर भूमि पर कब्जा प्राप्त किया जरिए नामांतरकरण सं0 439 दिनांक 27.08.2013 के भूमि वादीगण के नाम अंतरित की गई। तभी से वादीगण उक्त भूमि को बैहसियत खातेदार काबिज रहकर कास्त करते चले आ रहे है एवं लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण का वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की उपरोक्त आराजी से कोई संबंध, ताल्लुक, वास्ता नहीं है। वादीगण द्वारा भूमि को क्रय किए जाने से प्रतिवादीगण नाराज थे। प्रतिवादीगण उक्त भूमि को खरीदना चाहते थे। लेकिन खातेदार द्वारा प्रतिवादीगण को भूमि विक्रय न कर वादीगण को भूमि हस्तांतरित कर कब्जा सौंप दिया। इस बात से प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ति है प्रतिवादीगण ... है। वादीगण गरीब महिलाएँ है। वादीगण की असहाय स्थिति का नाजायत फायदा उठाकर प्रतिवादीगण वादीगण को परेशान करते है, आए दिन नुकसान करते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 13:53:08 IST
Reason: SelfAttested

भूमि पर काश्त नहीं करने देते। प्रतिवादीगण काश्त का समय निकाल देना चाहते है ताकि भूमि अजोत पड़ी रह जाए तथा वादीगण अपनी काश्त न कर सके। इस कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण को यह दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादीगण का एक गिरोह है। नाजायज रूप से वादीगण को उनकी खातेदारी व कब्जे की भूमि से प्रतिवादीगण बे–दखल कर देना चाहते हैं। जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण अपनी हरकतों से तब तक बाज नहीं आवगें जब तक कि उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं फरमा दिया जावेगा। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 12.10.2014 को वादीगण को काश्त न करने की धमकी देने से वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादकारण उत्पन्न हुआ। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि भूमि ख0न0 639 रकबा 1.15 है0 ग्राम कडी गॉवडी के उपयोग उपभोग में, कब्जे काश्त में और फसल काटने बौने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादीगण ने जवाब दावा इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि वास्तविकता इस प्रकार से है कि भूमि साबिक खसरा नम्बर 248/31 रकबा 10 बीघा भौरया पुत्र जवारया, प्रभू, मोती, मीठ्या पिसरान जवारया, खिलाडी पुत्र ग्यारसा, रामरूप पुत्र मूडया, निहाल पुत्र जमूरा, सुभाषचन्द एडवोकेट से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र से दिनांक 20.10.1984 को क्रय की थी, तभी से उक्त भूमि पर इनका कब्जा चला आ रहा है। दौराने सेटिलमेन्ट भूमि साबिक खसरा नम्बर 248/31 के नये नम्बर 1089/1392, 1089/1391 कायम किये है। लेकिन सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त दोनो नम्बरो का मिलान क्षेत्रफल गलत बना दिया। हाल खसरा नम्बर 1089/1391 को मिलान क्षेत्रफल में साबिक खसरा नम्बर 248/24 से तथा हाल सेटिलमेन्ट खसरा नम्बर 1089/1392 को साबिक खसरा नम्बर [illegible] से बनना दर्ज कर दिया। जबकि उक्त दोनो नम्बर साबिक खसरा नम्बर 248/31 सुभाष चन्द गुप्ता एडवोकेट की खातेदारी भूमि का हिस्सा है तथा दोनो खसरा नम्बरान को मिलाकर मौके पर एक ही खेत बना हुआ है। सेटिलमेन्ट के बाद कडी गॉवडी अलग रेवन्यु विलेज कायम होने के बाद सेटिलमेन्ट खसरा नम्बर 1089/1391 का नया नम्बर 639 व 1089/1392 का नया नम्बर 638 कायम किये गये है। हाल खसरा नम्बर 638 में प्रतिवादीगण खिलाडी पुत्र ग्यारसा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 13:53:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
...पुर सिटी (स०मा०)

ज्वारया, खिलाडी पुत्र ग्यारसा, रामरूप पुत्र मूडया निहाल पुत्र जमूरा जाति गुर्जर निवासी कडी गांवडी ने करीब 2 बीघा में हाल खसरा नम्बर 638 में सरसो व करीब एक बीधा में चने की फसल बो रखी है तथा हाल खसरा नम्बर 638 व 639 गेहूं की फसल के लिये जोत लगा रखी है। सेटिलमेन्ट विभाग वालो ने गलत रूप से हाल खसरा नम्बर 1089/1391 को तुलसा बेवा हरिया जयसिंह पुत्र हरिया के नाम दर्ज कर दिया जबकि उक्त भूमि पर उनका कभी कब्जा नही रहा है। इसी प्रकार से सेटिलमेन्ट विभाग वालो ने हाल खसरा नम्बर 1089/1392 को गलत रूप से रामजीलाल पुत्र मंगडया के नाम दर्ज कर दिया तथा सेटिलमेन्ट के गलत इन्द्राज के आधार पर हाल खसरा नम्बर 639 को तुलसा बेवा हरिया, जयसिंह पुत्र हरिया से शान्ति पत्नि रामहरि व पाना पत्नि प्रहलाद ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र बिना कब्जे के क्रय कर लिया। भूमि हाल खसरा नम्बर 639 पर कभी भी कब्जा तुलसा व जयसिंह का नहीं रहा है तथा ना ही कब्जा वादीगण का है। बिना कब्जे के दावा वादीगण चलने योग्य नहीं है। सेटिलमेन्ट के उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी पर खातेदार बावूलाल, तेजराम, राजूलाल, हरकेश पिसरान भौरया, कैली पुत्री भौरया, प्रभू, मोती, मीठ्या पिसरान ज्वारया, खिलाडी पुत्र ग्यारसा, रामरूप पुत्र मूडया, निहाल पुत्र जमूरा ने न्यायालय उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी में दावा उनवानी बावूलाल वगैहरा बनाम हरकेश वगैहरा के नाम से दावा बावत इस्तकरार हक खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा पेश कर रखा है, जो विचाराधीन है। सेटिलमेन्ट के गलत इन्द्राज के आधार पर उक्त भूमि तुलसा व जयसिंह के नाम दर्ज हो गई तथा हाल खसरा नम्बर 638 रामजीलाल पुत्र मंगडया के नाम दर्ज हो गई तुलसा व जयसिंह ने बिना कब्जे के भूमि को वादीगण को विक्रय कर दिया। जबकि भूमि पर वादीगण का भी कभी कब्जा नहीं रहा है। कब्जा काश्त निरन्तर प्रतिवादी रामजीलाल व अन्य सहखातेदारो का है। दिनांक 12.10.2014 को कोई वादकरण पैदा नही हुआ [illegible] वादीगण चलने योग्य नहीं है। अतः जवाब दावा पेश कर निवे[illegible] है [illegible] दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज फरमाया जा[illegible]।

दावा एवं जबाब दावा के [illegible] की कायम की गई–

1. आया भूमि ख0नं0 639 रकबा 1.15 हैक्टर ग्राम कडी गांवडी वादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर वादीगण काबिज रहकर काश्त करते आ रहे हैं। ——वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 13:53:08 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

... आमादा है इसके लिए प्रतिवादीगण ने दिनांक 12.10.2014 को वादीगण को फसल काश्त नहीं करने देने की धमकी दी फलस्वरूप वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

——वादीगण

3. आया वादग्रस्त भूमि साबिक ख0नं0 248/31 का ही नया नम्बर है जिसे प्रतिवादीगण ने दिनांक 20.10.84 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सुभाष चन्द एडवोकेट से खरीदा था।

——प्रतिवादीगण

4. आया भू–प्रबन्ध के दौरान साबिक ख0नं0 248/31 के नवीन नम्बर 1089/1392 व 1089/1391 बनाए गए हैं परन्तु भू–प्रबन्ध में गलत रूप से इन्हें साबिक ख0नं0 248/18 व 248/24 से बनना बता दिया गया है जबकि मौके पर ख0नं0 1089/1392 व 1089/1391 को मिलाकर एक ही खेत बना हुआ है एवं इस पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त है।——प्रतिवादीगण

5. आया वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं है एवं कब्जे के अभाव में वादीगण का दावा चलने योग्य नहीं है। ——प्रतिवादीगण

6. अनुतोष।

वादपत्र के समर्थन मे वादीगण ने नकल जमाबंदी संवत 2070–73 ग्राम कडी गॉवडी प्रदर्श–1 प्रस्तुत की है। इसके अलावा नकल जमाबंदी संवत 2066–2069 ग्राम कडी गॉवडी भी प्रस्तुत की है तथा वादिया शांतिदेवी पीडब्ल्यू 1, गवाह दरबसिंह गुर्जर पीडब्ल्यू 2, गवाह देवीसहाय गुर्जर पीडब्ल्यू 3 के बयान कराये है।

जबाब दावे के समर्थन मे प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है एवं कोई मौखिक साक्ष्य भी नही कराये गये है।

बहस विद्धान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

वादी के विद्धान वकील ने अपने वादपत्र के अनुसार बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार है। यह भूमि वादीगण ने विधिवत रूप से भूमि के पूर्व खातेदारो से जरिए रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रय की है। प्रतिवादीगण उक्त भूमि को खरीदना चाहते थे परन्तु भूमि के पूर्व खातेदारो द्वारा प्रतिवादीगण को भूमि विक्रय नही की गई। इस कारण प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न करते है तथा भूमि को हडपना चाहते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 13:53:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण विद्धान वकील ने अपनी बहस मे कहा कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कभी कब्जा नही रहा है। वादीगण ने जिन पूर्व खातेदारो से

...की भूमि को गलत रूप से खसरा नम्बर 638 व ख0न0 639 मे मिलाकर अन्य लोगो के नाम दर्ज कर दिया गया है। जिसकी दुरूस्ती हेतु दावा अलग से विचाराधीन है। कब्जे के अभाव मे वादीगण का दावा खारिज करवाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। तनकीवाईज निर्णय निम्न प्रकार है–

तनकी नम्बर 1. आया भूमि ख0नं0 639 रकबा 1.15 हैक्टर ग्राम कडी गांवडी वादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर वादीगण काबिज रहकर काश्त करते आ रहे हैं।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2070–73 प्रदर्श 1 के अनुसार वादग्रस्त भूमि ख0न0 639 रकबा 1.15 है0 ग्राम कडी गॉवडी वादीगण की खातेदारी मे दर्ज है। भूमि पर वादीगण का कब्जा नही होना प्रतिवादीगण ने अपने जबाब मे कहा है परन्तु इसकी पुष्टि हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की है। अतः अभिलेख के अनुसार यह तनकी वादीगण के पक्ष मे प्रमाणित होती है व इसी अनुसार वादीगण के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 2. आया प्रतिवादीगण वादीगण की उपरोक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर वादीगण को इस भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं इसके लिए प्रतिवादीगण ने दिनांक 12.10.2014 को वादीगण को फसल काश्त नहीं करने देने की धमकी दी फलस्वरूप वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबंदी के अनुसार वादीगण वादग्रस्त भूमि ख0न0 639 के खातेदार काश्तकार है। वादीगण ने अपने वादपत्र मे प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 12.10.2014 को भूमि पर काश्त नही करने देने की धमकी देना बताया है। इसके जबाब मे प्रतिवादीगण ने वादकारण पैदा नही होना बताया है। हमारा यह मानना है कि जब तक किसी व्यक्ति को परेशानी नही हो वह न्यायालय मे मुकदमा करने के लिए उद्यत नही होता है। अपने जबाब दावे मे प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि गलत रूप से भूप्रबन्ध विभाग द्वारा तुलसा व जयसिंह के नाम अंतरित कर देना अंकित किया है परन्तु इसके प्रमाण स्वरूप कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पक्षकारो के मध्य वादग्रस्त भूमि को लेकर तनाव है तथा वादीगण जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 13:53:08 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 3. आया वादग्रस्त भूमि साबिक ख0नं0 248/31 का ही नया नम्बर है जिसे प्रतिवादीगण ने दिनांक 20.10.84 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सुभाष चन्द एडवोकेट से खरीदा था।

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण की ओर इस तनकी को प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। अतः यह तनकी अभिलेख से प्रमाणित नही होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 4. आया भू–प्रबन्ध के दौरान साबिक ख0नं0 248/31 के नवीन नम्बर 1089/1392 व 1089/1391 बनाए गए हैं परन्तु भू–प्रबन्ध में गलत रूप से इन्हें साबिक ख0नं0 248/18 व 248/24 से बनना बता दिया गया है जबकि मौके पर ख0नं0 1089/1392 व 1089/1391 को मिलाकर एक ही खेत बना हुआ है एवं इस पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त है।

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने भूप्रबन्ध से पूर्व का राजस्व अभिलेख जैसे नकल जमाबंदी, नकल मिलान क्षेत्रफल आदि प्रस्तुत नही किये है। जिसके कारण प्रतिवादीगण द्वारा जबाब दावे मे किया गया कथन प्रमाणित नही होता है। अतः यह तनकी अभिलेख से प्रमाणित नही होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 5. आया वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं है एवं कब्जे के अभाव में वादीगण का दावा चलने योग्य नहीं है।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा होने के सम्बन्ध मे प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। दूसरी ओर वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। जब तक अन्यथा प्रमाणित नही हो तब तक वादग्रस्त भूमि पर खातेदार का ही कब्जा माना जाता है। अतः यह तनकी प्रमाणित नही होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 13:53:08 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नम्बर 6. अनुतोष।

तनकीवाईज किये गये विवेचन एवं निर्णय के अनुसार तनकी नम्बर 1 व 2 वादीगण के पक्ष मे निर्णित हुई है तथा तनकी नम्बर 3, 4, 5

ला कलेक्टर
सिटी (स०मा०)

शांति वगैरा बनाम खिलाडी वगैरा, दावा

(8)

प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित हुई है। अतः वादीगण का दावा स्वीकार कर डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः तनकी वाईज किये गये विवेचन एवं निर्णय के अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे भूमि ख0न0 639 रकबा [illegible] है0 ग्राम कडी गॉवडी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग मे वादीगण को किसी भी प्रकार की बाधा मानामजाहमत ना तो स्वयं पैदा करे, ना किसी अन्य से करावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील शामिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17-2-21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.25 13:53:08 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)